

न्यायालय तहसीलदार, सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं  
पीठासीन अधिकारी :::: मांगेराम पूनियां, R.T.S.  
मिसल नं. :::: 10/2022

सरकार

बनाम

भरतसिंह पुत्र गुलाबसिंह, जाति-राजपूत,  
निवासी-बेरी

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

निर्णय

निर्णय दिनांक 18.02.2022

पत्रावली पेश हुई। गैर सायल बावजूद सूचना अनुपस्थित। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायल भरतसिंह पुत्र गुलाबसिंह, जाति-राजपूत, निवासी-बेरी द्वारा रोही मौजा बेरी की राजकीय भूमि ख.नं. 373 कुल रकबा 10.87 है० किस्म गै.मु. जोहड़ में से रकबा 0.10 है० भूमि पर बाड़ बनाकर एवं फसल सरसों काशत कर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल बावजूद सूचना अनुपस्थित। अतः गैर सायल के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायल को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उनके विरुद्ध बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 20 रु. कायम किया जाता है। राजकीय भूमि में बोई गई फसल को राजहक में कुर्की, जब्ती एवं नियमानुसार निलामी करने की आज्ञा दी जाती है। इस बाबत् गिरदावर हल्का को लिखा जावे। तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवाई जावे। पटवारी/ गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली हेतु लिखा जावे। मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 18.02.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

स० ले० स० 4 के कृष सं. 56 पर  
वर्ष 2021-22 में रुपये 20/- कायम किए  
राजस्व लेखाकार

(मांगेराम पूनिया)  
तहसीलदार, सूरजगढ़